संख्या-219/2026/ 3002 /चार-2026-2093137

प्रेषक,

मनोज कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊः दिनांक 04 नवम्बर, 2026**

विषयः- जनपद शाहजहांपुर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी "लोकमान्य" बाल गंगाधर तिलक, स्व० बिशन चन्द्र सेठ जी की मूर्ति तथा लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर जी की घोड़े पर सवार एवं हाथ में तलवार लिये मूर्ति निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2009/सं0नि0-25(4)/2024-25-647861, दिनांक 13.10.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित मूर्तियों के निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न तालिका के स्तम्भ-3 एवं 4 में उल्लिखित विवरणानुसार मूर्तियों के निर्माण हेतु स्तम्भ-5 में अंकित धनराशि की प्रशासकीय स्वीकृति तथा स्तम्भ-6 में अंकित धनराशि की चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबंधों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं:-

तालिका

(धनराशि रूपये में)

क्र0	**जनपद**	**मूर्ति का नाम**	**साईज व धातु**	**प्रशासकीय स्वीकृति**	**वित्तीय स्वीकृति (25 प्रतिशत)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	शाहजहांपुर	''लोकमान्य'' बाल गंगाधर तिलक	06 फिट कांस्य	रू0 600000.00	रू0 1,50,000.00
2	शाहजहांपुर	स्व0 बिशन चन्द्र सेठ जी	06 फिट कांस्य	रू0 600000.00	रू0 1,50,000.00
3	शाहजहांपुर	लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर जी की घोड़े पर सवार और हाथ में तलवार लिये	12.5 फिट कांस्य की अश्वारोही	रू0 38,20000.00	रू0 9,55,000.00
			योग- रू0 50,20,000.00 (रू0 पचास लाख बीस हजार मात्र)		**रू0 12,55,000.00 (रू0 बारह लाख पचपन हजार मात्र)**

शर्तें / प्रतिबंधः-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनाँक- 28-मार्च, 2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) मूर्ति निर्माण विषयक संस्कृति विभाग के शासनादेश संख्या-138/चार-2001-6(20)/90 टी0सी0 दिनांक 24.12.2001 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए संस्कृति निदेशालय/ उ0प्र0 राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ द्वारा मूर्ति निर्माण के संबंध में कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

(3) निदेशक, संस्कृति निदेशालय/ राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) प्रश्नगत स्वीकृति संस्कृति निदेशालय/ राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय/ राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ का होगा।

(5) मूर्ति का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/ मद हेतु दी जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/ मद हेतु किया जायेगा।

(7) उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय- समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(9) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(10) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा। समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(11) यह अनिवार्य रूप में सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कार्यों की मानीटरिंग भी की जायेगी। उपयोग की गयी धनराशि का प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) चालू वित्तीय वर्ष में मूर्ति निर्माण कार्यों पर हुए व्यय का विस्तृत विवरण शासन को वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर एक माह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

3. उपर्युक्त स्वीकृति से संबंधित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय - 04- कला तथा संस्कृति- 106- संग्रहालय- 09- महापुरूषों की मूर्तियों का निर्माण- 24-वृहत् निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनाँक- 28-मार्च, 2026 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
मनोज कुमार,
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी, जनपद-शाहजहांपुर।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. निदेशक, उ0प्र0 राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार,
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in